जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 27.11.2023**

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा लेखपाल के साथ मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 27.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा लेखपाल के साथ मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 20.11.2023 को घटना में शामिल 02 अभियुक्तगण मोनू पुत्र प्रमोद, मोहित पुत्र ब्रजेश को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

ज्ञात हो कि दिनांक 19.11.2023 को वादी श्री पंकज कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी पानीपत हरियाणा (लेखपाल गंगेरु पश्चिम) ने सरकारी कार्य के दौरान मोनू पुत्र प्रमोद शर्मा मोहित शर्मा पुत्र ब्रजेश शर्मा ,शोएब पुत्र वाजिद, याकूब पुत्र फैजा निवासीगण ग्राम खेडाकुरतान थाना कांधला जनपद शामली व 05 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके साथ मारपीट, अभिलेख फाडने व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.याकूब पुत्र फैजा निवासी ग्राम खेडाकुरतान थाना कांधला जनपद शामली।

2.शोएब पुत्र वाजिद निवासी ग्राम खेडाकुरतान थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 580/23 धारा 332/353/427/506 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री राजकमल थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 संजीव कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में शामली पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई जेल में बिताई अवधि के कारावास गई सजा एवं 4500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

वर्ष 2007 में अभियुक्त कुंवर उर्फ कुवंरपाल पुत्र कृष्ण निवासी ग्राम शीतलगढी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 25/2007 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम में थाना झिंझाना पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई थी। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 27.11.2023 को माननीय न्यायालय J.M. कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम में सुनाई जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा एवं 4500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.कुंवर उर्फ कुवंरपाल पुत्र कृष्ण निवासी ग्राम शीतलगढी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI